महत्वपूर्ण/प्राथमिकता

संख्या- 36/2015/एन0जी0ओ0 39/84-2-2015-सीपी 16/2003

प्रेषक

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 14 दिसम्बर, 2015

विषय उपभोक्ता कल्याण कोष से स्वैच्छिक संगठनों को उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम हेतु अनुदान दिये जाने के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों की जांच कराकर आख्या एवं संस्तुति शासन को उपलब्ध कराया जाना ।

महोदय

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह अधिक प्रासंगिक है कि उपभोक्ता को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाय जिससे वह अपने अधिकारों का प्रयोग कर उपभोक्ता न्यायालयों के माध्यम से समुचित न्याय प्राप्त कर सके। इसके दृष्टिगत उपभोक्ता जागरूकता को बढावा देने के उद्देश्य से शासन द्वारा राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष का गठन किया गया है। इस कोष से उपभोक्ता कल्याणकारी कार्यो में लगे हुए समन्वय अभिकरण/स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता/अनुदान के रूप में अधिकतम रूपये 02 लाख की धनराशि (रूपये एक-एक लाख की दो किस्तों में) दिये जाने की व्यवस्था है। इसी क्रम में शासन के पत्र संख्या-सीपी 1004/29-8-2006-सीपी 16/2003 दिनांक 13 अक्टूबर 2006 द्वारा गठित जनपद स्तरीय कमेटी की, शासनादेश दिनांक 17.09.2008 द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के आलोक में प्राप्त संस्तुति के आधार पर समन्वय अभिकरण/स्वैच्छिक संगठन को वित्तीय सहायता दिये जाने की प्रक्रिया निर्धारित है।

2 उक्त निर्धारित प्रक्रिया में सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण है। अत: शासन के पत्र संख्या-60/सीपी 668/84-2-2014-सीपी 16/2003 दिनांक 10 जुलाई, 2014 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों से यह अपेक्षा की गई थी कि शासन द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के आलोक में प्रस्ताव प्राप्त कर उनका परीक्षण करते हुए तय समयसीमा के अंदर शासन को उपलब्ध करायें। तदुपरांत शासन के पार्श्वांकित पत्रों के माध्यम से अनुस्मरण कराये जाने के बावजूद किसी भी जिलाधिकारी से समुचित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

1. 60/सीपी 668/84-2-2014-सीपी 16/2003 दिनांक 10.07.2014
2. सीपी 1025/84-2-2014-सीपी 9/2011 दिनांक 26.09.2014
3. 71/एनजीओ 50/84-2-2014-सीपी 34/2006 दिनांक 26.11.2014
4. 2/2015/एनजीओ 55/84-2-2014-सीपी 34/2006 दिनांक 08.01.2015
5. 3/2015/एनजीओ 01/84-2-2015-सीपी 16/2003 दिनांक 22.01.2015
6. 7/2015/एनजीओ 09/84-2-2015-सीपी 16/2003 दिनांक 30.03.2015
7. 17/2015/एनजीओ 15/84-2-2015-सीपी 16/2003 दिनांक 21.07.2015
8. 28/2015/एनजीओ 32/84-2-2015-सीपी 16/2003 दिनांक 12.10.2015

....2....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

इससे उपभोक्ता जागरूकता का कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इससे स्वत: स्पष्ट है कि बार-बार अपेक्षा करने के बावजूद जिलाधिकारी कोई रूचि नहीं ले रहे हैं और न ही उपभोक्ताओं को जागरूक करने के दायित्व का निर्वहन ही कर रहे हैं।

3. अत: वर्णित स्थिति में मुझे पुन: यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यक्तिगत रूचि लेकर उपभोक्ता जागरूकता को बढावा देने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता/अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप प्रस्ताव प्राप्त कर नियमानुसार संस्तुति सहित शासन को एक पक्ष में निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के लिए उपभोक्ता कल्याण कोष से अनुदान देने के सम्बन्ध में समस्त जिलाधिकारियों को दिये गये उपर्युक्त निर्देशों का प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

राजेन्द्र मणि त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।